

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 52/2019 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

1. सुशील कुमार पुत्र श्री प्राकृतसिंह महाजन निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां प्रार्थी

बनाम

1. कासम पुत्र अमीरदीन मुसलमान निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
2. रफीक मो० पिता हुसना मुसलमान निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
3. ईदरिश पिता अजीज मोहम्मद नीलगर निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
4. उमरमोहम्मद पिता अजीज मोहम्मद नीलगर निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
5. बीरम पिता पांचू रेगर निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
6. श्रवण पिता पांचू रेगर निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
7. ज्वाला पिता छोगा चमार निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
8. रामा पिता घीसा चमार निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
9. घनश्याम पिता रामजीवण ब्राह्मण निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
10. दुर्गालाल पिता शंकरलाल ब्राह्मण निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
11. किशन पिता महावीर ब्राह्मण निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
12. राकेश पिता महावीर ब्राह्मण निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां
13. लक्ष्मण पुत्र जोधुसिंह महाजन निवासी कोठिया तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 07.06.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थीगण के ग्राम कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 3102 रकबा 1.63 है०, खसरा नम्बर 3103 रकबा 2.06 है०, खसरा नम्बर 3114 रकबा 6.30 है०, किता 03 कुल रकबा 9.99 है० का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम हुकमपुरा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कोठिया में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 03 रकबा 9.99 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 4000/- रुपये (अक्षरे चार हजार रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ़तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



( एम0पी0 नायक )

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां जिला--भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां जिला--भीलवाड़ा